धारा 13 : संसद के समक्ष नियमों का रखा जाना

इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते है या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।